सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

आर. राजेश
निदेशक
R. Rajesh
Director
TELFAX : 23361247

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

No. C/16/2009-MPLADS

Dated **31.03.2010**

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkatta/Chennai/Delhi
Districts Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners

Subject: Review of MPLADS works implementation at district level - with the MPs being invited – to be convened at least every quarter.

The MPLADS Guidelines provides that the District Authority shall review MPLADS works implementation with the implementing agencies and that the District Authority shall invited the MPs concerned to such review meetings. This mechanism has been provided to enable ironing out the difficulties faced in the implementation and to inform the MPs of the progress made in the implementation. It is also provides a forum for the MP to discuss issues relating to MPLADS with the District Authority.

2. However, some MPs having complaining that these review meetings are not convened at all by the District Authorities in their respective districts, with the result that neither are the MPs adequately informed about the progress of implementation made in their works nor are issues/queries able to be discussed with the District Authorities.

3. In view of the importance of the district level review meetings with the MPs, it is once again reiterated that **district level review meetings in which concerned MPs are invited, are to be held every month and in any case, at least once in every quarter. The** onus will be on the District Authority to ensure this and, it will be considered a violation of the Guidelines if the meeting between the District Authority and the MP is not conducted even once in every quarter.

Yours faithfully,

RRajesh

(R. Rajesh)
Director

Copy for information to:

1. Secretaries, Nodal Departments of MPLADS (All States/UTs).
2. Director, Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
3. Director, Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

आर. राजेश
निदेशक
R. Rajesh
Director
TELFAX : 23361247

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

सं. सी/16/2009-एमपीलैड्स

Dated ....**31.03.2010**..........

सेवा में

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली निगम
जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः **सांसदों को आमंत्रित करते हुए एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन की जिला स्तर पर,कम से कम प्रत्येक तिमाही में समीक्षा करना ।**

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि जिला प्राधिकारी कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और जिला प्राधिकारी ऐसी समीक्षा बैठकों में संबंधित सांसदों को आमंत्रित करेगा । यह तंत्र कार्यान्वयन में अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने तथा कार्यान्वयन में हुई प्रगति से सांसदों को अवगत कराने के लिए बनाया गया है । यह सांसद के लिए, जिला प्राधिकारी के साथ एमपीलैड्स से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए एक फोरम भी प्रदान करता है ।

2. तथापि, कुछ सांसद यह शिकायत करते रहे हैं कि जिला प्राधिकारी द्वारा अपने संबंधित जिलों में ऐसी कोई समीक्षा बैठक आयोजित नहीं करते हैं, फलस्वरूप न तो सांसदों को उनके कार्यों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है और न ही वे जिला प्राधिकारियों के साथ मुद्दों/शंकाओं पर चर्चा कर पाते हैं ।

3. सांसदों के साथ जिला स्तर की समीक्षा बैठकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह पुनः दोहराया जाता है कि **जिला स्तर की समीक्षा बैठकें जिनमें संबंधित सांसदों को आमंत्रित किया जाता है, प्रत्येक महीने में और किसी भी स्थिति में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी हैं ।** यह जिला प्राधिकारी का दायित्व होगा कि वह इसे सुनिश्चित करे और, यदि प्रत्येक तिमाही में भी जिला प्राधिकारी और सांसद के बीच एक बैठक आयोजित नहीं की जाती, तो इसे दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा ।

भवदीय,

आर. राजेश

(आर.राजेश)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
2. निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।